#### FORM - 2B [see rule 40B (2)]

### APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Electio	on to Mayor from Municipal Corporation	Or election to member from											
Ward I	Number of Municipal Corporation												
То	The Returning Officer/Presiding Officer,												
	I	a candidate/** the election agent of											
	wh	no is a candidate at the above election hereby											
appo	int the following persons as my/his** coun	ting agents to attend the counting of votes at											
		•											
	Name of the Counting Agent	Address of the Counting Agent											
1 2 3 4 5 6 etc.													
Place	<u>,                                    </u>												
		Signature of Candidate/ Election Agent**											
	We agree to act as such Counting Agents.												
1. 2. 3. 4. 5. 6. etc.													
Place	<u> </u>												
Date		Signature of the Counting Agents											

### **DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS**

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under
sub-sections (1) and (2) of section 23 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 o
1994), which we have read/has been read over to us.

1		
2 3		
4		
5 6		
etc.		
Place		Signature of Counting Agents
Date	-	
	Signed before me	

Signature of the Returning Officer/ Presiding Officer

- \*- Appropriate particulars of the Election to be inserted.
- \*\* Strike off the inappropriate alternative.
- Section 23 (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.
  - (2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both.".

## प्ररूप — 2ख [देखिए नियम 40(ख)(2)]

# गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

	नगर निगम		. के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम	की
वार्ड सं	ख्या	से सदस्य का चुनाव	<b>I</b>	
सेवा में	:			
		रिटर्निंग अधिकारी /	पीठासीन अधिकारी,	
		,	·	
	में			नीदवार / * * निर्वाचन
अभिकर			त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नित	•
			हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके **गणना ३	
नियुक्त	करता हूं।			
	गणना	अभिकर्ता का नाम	गणना आ	भेकर्ता का पता
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	इत्यादि			
			उम्मीदवार / गणना अभिकर	र्ग के ट्यास्थ्य * *
MI9			<u> उत्तादपार/ गणगा</u> आम्पर	॥ ५७ ६स्सादारःः
	हम ऐसे गणन	अभिकर्ताओं के रूप मे	नें कार्य करने के लिए सहमत हैं।	
1 2				
3				
4				
5				
6 इत्यादि	-			
, ,				
				<b>,</b>
तिथि			गणना अभिकर्ता व	<sup>ह</sup> हस्ताक्षर

### गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

	हम,	इसके	द्वारा,	घोषणा	करते हैं	कि	उपरोक्त	निव	चिन मे	र्नं, हम	हरियाप	गा न	गर	निगम	अधिनि	यम,	1964
(1994	का ′	16) की	धारा	23 की	उपधारा	(1)	तथा (2)	के	अधीन	निषिद्ध	द्व कुछ	भी	नहीं	करेंगे	। जिसे	हमने	पढ़
लिया ह	है ∕ ह	में पढ़ व	कर सु	ना दिया	गया है	I											

1	
ı	•

2.

3.

4.

5.

इत्यादि

स्थान .....

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

- धारा 23.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतो की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।
  - (2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो तीन मास से अनिधक की अविध के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। \*\*।

<sup>\*</sup>निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

<sup>\*\*</sup>अनुपयुक्त विकल्प काट दें।